INDIA NON JUDICIAL

IN-UP06269680321895V

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

Certificate No.	:	IN-UP06269680321895V
Certificate Issued Date	:	05-Sep-2023 03:27 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14280004/ NAJIBABAD/ UP-BJR
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP14280004081880226663532V
Purchased by	:	RAMA INSTITUTE OF HIGHER EDUCATION KIRATPUR
Description of Document	:	Article 4 Affidavit
Property Description	:	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	RAMA INSTITUTE OF HIGHER EDUCATION KIRATPUR
Second Party	:	Not Applicable
Stamp Duty Paid By	:	RAMA INSTITUTE OF HIGHER EDUCATION KIRATPUR
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	100 (One Hundred only)

ARUN KUMAR KIRATPUR Teh. Najibabad (Bijnor) U.P.

शपथ–पत्र

हम अरुण गोयल एवं रचना गोयल कमशः अध्यक्ष एवं सचिव रामा एजुकेशनल ट्रस्ट किरतपुर, तहसील नजीबाबाद, जिला बिजनौर उत्तर प्रदेश शपथपूर्वक निम्नवत् बयान करते हैं–

1. यह कि, हमारी ट्रस्ट द्वारा रामा इंस्टिट्यूट आफ हायर एजुकेशन, किरतपुर, तहसील नजीबाबाद, जिला बिजनौर उत्तर प्रदेश नामक डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थान की स्थापना सत्र 2023–24 से किया जाना प्रस्तावित है।

2. यह कि, हमारी ट्रस्ट के नाम ग्राम किरतपुर, तहसील नजीबाबाद, जिला बिजनौर (उत्तर प्रदेश) में गाटा संख्या 1148 एवं रकबा 0.3400 हेक्टेयर (कुल रकबा 0.3400 हेक्टेयर) भूमि है।

3. यह कि, उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नही चल रहा है, और भूमि विवाद रहित है।

4. यह कि, उपरोक्त पते पर ट्रस्ट के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा संख्या 1148 एवं रकबा 0.3400 हेक्टेयर (कुल रकबा 0.3400 हेक्टेयर) पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव ट्रस्ट की बैठक दिनांक 06.05.2020 द्वारा पारित किया गया है।

5. यह कि, उपरोक्त भूमि पर प्रश्नगत डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थान के संचालन हेतु भवनो का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।

6. यह कि, निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।

7. यह कि, इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर केवल उपरोक्त नाम की डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।

8. यह कि ,इस संस्था में फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रमों एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

9. यह कि ,उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेष लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एंव पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय/आई0टी0आई0 आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है और न ही भविष्य में किया जायेगा।

10. यह कि, संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।

11. यह कि, संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती ट्रस्ट द्वारा सत्र प्रारंभ के पूर्व कर लिया जायेगा।

12. यह कि, शासन/परिषद द्वारा निर्गत निर्देशो/आदेशो का भलीभांति पालन करूंगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एंव सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एंव मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नही की जाएगी।

13. मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य हैं। यदि दी गयी जानकारी एंव अभिलेख/दस्तावेज फर्जी, कूटरचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते है तो मेरे विरूद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वंय उत्तरदायी होऊंगा।

ह0 अध्यक्ष

ह0 सचिव